संख्या– 1707 /38–8–2007–654/07

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर,2007

विषय : इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु कुल रू0 636.87 करोड़ के निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 254750 आवास बनाया जाना है। शत –प्रतिशत वित्तीय /भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश भी निर्गत किये जाने है, फिर भी वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते, फलतः कभी– कभी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ता है। कदाचित ऐसी स्थिति ठीक नहीं है।

2. इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में गति लाने , प्रगति बढ़ाने एवं शत प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह विचार किया गया कि योजना के लक्ष्यों के निर्धारण, पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाना, लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि का अंतरण एवं आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक समय सारणी सुनिश्चित कर ली जाए। अतएव शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न समय सारणी सुनिश्चित की जाती है :–

1.	डी0आर0डी0ए0 द्वारा इन्दिरा आवास का लक्ष्य निर्धारण	यदि परिपूर्ण न हुआ हो तो तत्काल
2.	स्थाई प्रतीक्षा सूची के आधार पर पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाना	12 सितम्बर से 20 सितम्बर 2007 तक
3.	लाभार्थी के खाते में धनराशि का अंतरण	18 सितम्बर से 25 सितम्बर,2007 तक
4.	आवास का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना	19 सितम्बर,2007 को

3. इन्दिरा आवासों के निर्माण कार्य पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु दिनांक 20 सितम्बर,2007 को इन्दिरा आवास निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

4. डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में इन्दिरा आवास का संतृप्तीकरण भी एक घटक है। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या– 1296/66–20007–49/05 दिनांक 23 जुलाई,2007 द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं। जिसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक विधान सभावार 05 ग्राम सभाओं का चयन दिनांक 07 अगस्त,2007 तक पूर्ण करते हुये दिनांक

31 अगस्त,2007 तक कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। उक्त कार्ययोजना दिनांक 07 सितम्बर,2007 तक डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को उपलब्ध करा दी जाए। ऐसी ग्राम सभाओं को तब संतृप्त माना जायेगा जब इन्दिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा के आधार पर पात्र पाये गये सभी परिवारों को आवास उपलब्ध कराते हुये उनका निर्माण 31 मार्च,2008 तक पूर्ण करा दिया जाए। इन ग्राम सभाओं के पात्र परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु योजना के मार्ग–निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए।आवासों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समय–समय पर इसका सत्यापन भी किया जाएगा।

5. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास तभी पूर्ण माना जाता है जब कि आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण पूर्ण हो। भारत सरकार के निर्देश हैं कि शौचालय का निर्माण अब सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम से किया जायेगा। अतएव मुख्य विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दशा में शौचालय निर्माण कार्यपूर्ण हो। इसी प्रकार योजना के मार्ग–निर्देशों की व्यवस्था के अनुसार धूमरहित चूल्हा एवं नाम पट्टिका भी लगायी जाएगी।

6. योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों का 60 प्रतिशत व्यय करने के पश्चात ही द्वितीय किश्त के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि कम से कम 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करते हुये द्वितीय किश्त के प्रस्ताव समयान्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जाए विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित करने के फलस्वरूप यदि केन्द्रांश में किसी प्रकार की कटौती होती है तो दायित्व निर्धारित करते हुये कठोर कार्यवाही की जायेगी।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार तत्काल कार्यवाही करते हुये शत–प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य पूर्ण करने का कष्ट करें। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव

संं0– 1787 /38–8–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सतत अनुश्रवण हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0 प्र0।
4. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 उ0 प्र0।
5. गार्ड बुक

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव